

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी-

श्री नरेश कुमार मालव
आर.ए.एस.

मिसल संख्या:	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
246/अपील/2017	08.11.2017	11.06.2018

छीतर आ0 मकबूलशाह जाति फकीर मुसलमान निवासी बालापुра तहसील हिण्डोली जिला बून्दी। (राजस्थान)

- अपीलांट

- बनाम -

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार दबलाना जिला बून्दी (राज0)

- रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 22.03.2016

नायब तहसीलदार, दबलाना

अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :-

अपीलांट की ओर से - श्री प्रेमशंकर गुर्जर, अभिभाषक।

रेस्पोडेन्ट की ओर से - परोकार सरकार


-: निर्णय :-

यह अपील नायब तहसीलदार, दबलाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.03.2016 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 197/3604 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा, किस्म चरागाह वाके ग्राम बालापुरा तहसील हिण्डोली का अतिचारी मानते हुये धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत बेदखली, फसल जप्ती, पैनाल्टी 300/- रुपये एवं 60 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व परोकार सरकार सुनी गयी।


अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति व विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व किसी भी विधि विहित प्रक्रिया



का पालन नहीं किया गया है। अपीलान्ट की तामील नहीं करवाई गई है। एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट को अपना जवाब व साक्ष्य दस्तावेज पेश करने का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है एवं ना ही द्वितीय अतिक्रमण साबित हुआ है। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कोई अभिलेख मौजूद नहीं है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है। कब्जा छोड़ दिया है। इन सब बातों पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है और सजा के निर्णय से दण्डित किया गया है जो न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपित पैनाल्टी भी जमा करा दी गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.03.2016 निरस्त फरमाया जावे।

पैरोकार-सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट ने राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर दिया गया है। अपीलान्ट को गत वर्ष भी अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया गया था जिसका विवरण पटवारी बयान व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकन है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है तथा बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्ट ने अतिक्रमण भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा है, कब्जा छोड़ने बाबत कोई साक्ष्य, पटवारी रिपोर्ट आदि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह चरागाह भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण व कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्ट ने निवेदन किया है कि उसने विवादित भूमि से कब्जा छोड़ दिया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कब्जा छोड़ने बाबत पटवारी रिपोर्ट व अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अपीलान्ट ने यह भी निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट को पश्चातवर्ती प्रमाणित करने के सम्बन्ध में पूर्व निर्णय की व मौके से बेदखल करने की रिपोर्ट संलग्न नहीं है, बिना दस्तावेज व साक्ष्य के अपीलान्ट को पश्चातवर्ती नहीं माना जा सकता। अपीलान्ट को बिना पश्चातवर्ती साबित किये सिविल कारावास की सजा से दण्डित नहीं किया जा सकता। अपीलान्ट के इस कथन की पुष्टि में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में गत वर्ष अपीलान्ट को बेदखल किये गये निर्णय का अंकन अपीलाधीन निर्णय व पटवारी बयान में है। जिससे अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना प्रमाणित होता है तथा अपीलान्ट विवादित भूमि पर



बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी प्रमाणित होता है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अपीलान्त को विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलान्त ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है तथा जुर्माना राशि जमा करा दी गई है। इस आशय की पालना रिपोर्ट अपीलान्त मय शपथ पत्र सम्बन्धित तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा तथा तहसीलदार उक्त पालना रिपोर्ट की वस्तु स्थिति का मौका देखकर पालना से पूर्णरूप से सन्तुष्ट होने पर कि अपीलान्त ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है और जुर्माना जमा करा दिया गया है तो सिविल कारावास की सजा निरस्त समझी जावे। यदि अपीलान्त उक्त पालना प्रस्तुत करने व वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ने में असफल रहता है तो विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सिविल सजा यथावत रहेगी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय यथावत रहेगा।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 11.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(नरेश कुमार मालव R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)

निर्णय

इस अपील नामक तहसीलदार, रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.05.2018 में अतिक्रमण होकर अपीलान्त ने अतिक्रमण खात 25 म. राबदार अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश अपीलान्त को आराजी सजा माफ कर 73/24 राबदा 02 बीपी, 08 जिला, जिला बसगाह बार्क नाम संलग्न तहसील रिपोर्टों का अधिवर्ती मानते हुए प्रायः 22 संलग्न अधिनियम अधिनियम के तहत अतिक्रमण, फसल जप्ती, वैनाली 200/- जमा एवं इस विषय संबंधित आदेशों की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होते पर पूर्ण रजिस्ट्रार कर वेन्चोरेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तत्पर की गयी।

प्रायः अधिभाषक अपीलान्त इ वरतकाल सरकार चुने गयी।

अधिभाषक अपीलान्त ने तहत के दौरान अपील में अतिक्रमण खात को दाखिल हुये जर्न प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति व विषय के सम्बन्ध विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व किसी भी अतिरिक्त आदेश